

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-फ. 5(5)गृह-1 / 2024 (20274)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित तिथि

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2025-26 की दिनांक 02.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज/श्री नरेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध एसीबी प्रकरण संख्या 385/2021 मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया।

एसीबी प्रकरण संख्या 385/2021 में दिनांक 25.11.2025 को मा0 न्यायालय, सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर द्वारा एफआर स्वीकार की जा चुकी है। इस कारण राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2025-26 की दिनांक 02.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज/श्री नरेन्द्र कुमार की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज/श्री नरेन्द्र कुमार को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2025-26 में रिक्ति दिनांक 01.01.2026 के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री भारद्वाज की वरिष्ठता श्री परवेज आलम सैयद/अब्दुल गनी सैयद (सामान्य) के नीचे तथा श्री अनिल कुमार मूण्ड/काशीराम (सामान्य) के उपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री अरविन्द कुमार भारद्वाज, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इनको रिक्ति दिनांक 01.01.2026 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस